राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 14(36)कार्मिक/क–2/2007 पार्ट–I जयपुर, दिनांकः 10/08/2022

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

–:संशोधित परिपत्रः–

विषयः–सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजन को आरक्षण देने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र 01.12.2021 के बिन्दु संख्या (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

(4) **रिक्तियों का अग्रेषण, अन्तः परिवर्तन तथा विचारणीय सीमा (ZOC)** :– दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त बैंचमार्क कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पदों को भरने/अग्रेषित किये जाने के संबंध में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाऐगी :

(क) <u>सीधी भर्ती</u> :–जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता हैं, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि आगामी वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता हैं तो उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भरा जा सकेगा।

(ख) <u>पदोन्नति</u> :– पदोन्नति द्वारा चयन पर विचार किये जाने पर दिव्यांगजन आरक्षण हेतु आरक्षित रिक्तियों को सामान्य विचारण सीमा द्वारा भरा जायेगा। सामान्य विचारण सीमा में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर विचारण सीमा को कुल रिक्तियों के 7 गुना तक बढाया जा सकेगा। 7 गुना विचारण सीमा में भी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रोस्टर बिन्दु पर विशिष्ट बैंचमार्क दिव्यांगजन का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तःपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा।

.........जारी 2 पर

49/2022

अन्तःपरिवर्तन के पश्चात भी कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्ति को सामान्य प्रक्रिया से भरते हुये दिव्यांगजन हेतु निर्धारित बैंचमार्क के आरक्षण को अग्रेषित किया जायेगा अर्थात आगामी वर्ष में दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उपलब्ध होने वाली रिक्तियों में उसे पदोन्नत कर दिया जायेगा। आरक्षित रोस्टर बिन्दु पर विशिष्ट बैंचमार्क दिव्यांगजन का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्तःपरिवर्तन कर भरे जाने पर अनुपलब्ध दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी का आगामी पदोन्नति वर्ष में दिव्यांगजन हेतु उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध प्रथमतः विचार किया जायेगा।

विभागीय पदौन्नति समिति (डीपीसी) के बैठक कार्यवाही विवरण में इस संबंध में स्पष्ट अंकन भी किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

5/8/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव।
4. मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
6. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
9. समस्त अध्यक्ष/सचिव, आयोग निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण।
10. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

49/2022